

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-09/न०वि०बि०भ०उ०-03/20269035 पटना, दिनांक-27.08.20

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Ease of Doing Business, Ease of Living तथा Compliance Reduction के साथ-साथ राज्य सरकार के सात निश्चय-3 के तहत "सबका सम्मान-जीवन आसान" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार भवन उपविधि, 2014 में व्यापक संशोधन प्रस्तावित है। बिहार भवन उपविधि प्रारूप की समीक्षा के लिए माननीय मंत्रियों का समूह निम्न प्रकार से गठित किया जाता है :

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार | : | अध्यक्ष |
| (ii) श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास/
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग | : | सदस्य |
| (iii) श्री राम कृपाल यादव, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग | : | सदस्य |
| (iv) श्री नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास/
सूचना प्रावैधिकी विभाग | : | संयोजक |
| (v) श्री संजय कुमार सिंह, माननीय मंत्री,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | : | सदस्य |

2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त समूह को सचिवालय सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(मनोज कुमार)
अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०बि०भ०उ०-03/2026 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०बि०भ०उ०-03/2026 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास/सूचना प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०बि०भ०उ०-03/2026 9035 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-27/8/26

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/अध्यक्ष, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।